राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.5(33)नविवि / 2023 जयपुर, दिनांक : 5 OCT 2023

निदेशक,
मारवाड़ इन्टरनेशनल सेन्टर,
जोधपुर।

विषयः— **मारवाड इन्टरनेशनल सेन्टर, जोधपुर** (Marwar International Centre, Jodhpur) के प्रबंधन हेतु एक स्वायत्तशासी संस्था सोसायटी एक्ट के तहत **जोधपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबन्धन संस्था, जोधपुर** (Jodhpur Convention Centre Management Society, jodhpur) बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मंत्रिमडल की आज्ञा संख्या 223/2023 दिनांक 04.10.2023 के अनुसरण में **मारवाड इन्टरनेशनल सेन्टर, जोधपुर** (Marwar International Centre, Jodhpur) के प्रबंधन हेतु एक स्वायत्तशासी संस्था सोसायटी एक्ट के तहत **जोधपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबन्धन संस्था, जोधपुर** (Jodhpur Convention Centre Management Society, jodhpur) बनाये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों की पालना प्राधिकरण स्तर पर किये जाने की शर्त पर एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः—

1. मारवाड इन्टरनेशनल सेन्टर, जोधपुर के प्रबंधन हेतु एक स्वायत्तशासी संस्था **जोधपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबंधन संस्था, जोधपुर** बनाकर इसे राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराया जावें।
2. **जोधपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबंधन संस्था, जोधपुर** के Memorandum of Association, Rules and Regulations के प्रारूप को अनुमोदन किया गया।
3. जोधपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबंधन संस्था, जोधपुर की इन्टरिम एक्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जावें, जिसके द्वारा 8 सदस्य (5 सदस्य आजीवन, फाउण्डर, संरक्षक एवं अन्य सदस्यों में से, 2 सदस्य—जिला कलक्टर जोधपुर व आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर और 1 सेन्टर का निदेशक) गवर्निंग बोर्ड का गठन किया जायेगा। जब तक गवर्निंग बोर्ड का गठन हो, तक तक के लिए सम्भागीय आयुक्त, ज़ोधपुर की अध्यक्षता में गठित इन्टरिम एक्जीक्यूटिव कमेटी अपना काम करती रहेगी।

4. मारवाड़ इन्टरनेशनल सेन्टर, जोधपुर की मेम्बरशिप, स्टाफ तथा इसके संचालन से संबंधित सभी निर्णय संस्था की इन्टरिम एक्जीक्यूटिव कमेटी एवं गवर्निंग बोर्ड द्वारा अपने स्तर पर लिये जायेंगे।

5. **जोधपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबंधन संस्था जोधपुर** को अपने उद्‌देश्यों की प्राप्ति में सक्षम बनाने के लिए निम्न राजकीय संस्थानों द्वारा कुल 20 करोड रूपये की राशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाएगी।

क्र.सं.	नाम संस्था	राशि
1.	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (JODA)	5 करोड रूपये
2.	राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जयपुर (RHB)	5 करोड रूपये
3.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (RIICO)	5 करोड रूपये
4.	राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (RSMML)	5 करोड रूपये
	कुल	**20 करोड रूपये**

संचालन संस्था को राजकीय संस्थानों द्वारा यह प्रदत्त राशि 10 वर्षों में देय होगी।

6. जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गेस्ट रूम, रेस्टोरेन्ट, डाईनिंग हॉल इत्यादि सहित एम. आई.सी. परिसर के सभी चालू/बकाया विकास कार्य एक वर्ष में पूरे कराये जायेंगे और उसके पश्चात् इसे **जोधपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबंधन संस्था, जोधपुर** को 10 वर्ष के लीज पर दे दिया जायेगा, जिसकी वार्षिक लीज राशि 30 लाख रूपये होगी और जिसमें जीएसटी, यदि लागू हो, शामिल होगी। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लीज अवधि को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। परन्तु अपने उद्देश्यों से भटकने या उन्हे प्राप्त करने में विफल होने की दशा में, संस्था को सुनवाई का समुचित अवसर देकर, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार दी गई लीज कभी–भी समाप्त की जा सकेगी।

7. जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं **जोधपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबंधन संस्था जोधपुर** के साथ लीज सम्पादित होने तक जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मारवाड इन्टरनेशनल सेन्टर के नियमित रखरखाव का व्यय वहन किया जायेगा। इस बाबत संस्था से इस आशय का एक एमओयू सम्पादित किया जायेगा। लीज के निष्पादन के बाद जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लीज अवधि में मेजर रिपेयर्स (Major Repairs) एवं एमआईसी के प्रयोजनार्थ कोई अतिरिक्त या नया विकास कार्य जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं **जोधपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबंधन संस्था, जोधपुर** की आपसी सहमति से कराया जा सकेगा।

8. **जोधपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबंधन संस्था, जोधपुर** व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के मध्य किसी प्रकार कोई विवाद होने की स्थिति में विवाद का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर किया जायेगा। राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।
9. **जोधपुर कन्वेंशन सेन्टर प्रबंधन संस्था, जोधपुर** को राज्य सरकार समय–समय पर आवश्यक निर्देश दे सकेंगी।
10. मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियशन तथा नियम व विनियम के प्रावधानों के निर्वचन (Interpretation) के संबंध में निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जावेंगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जुगल किशोर मीणा)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को मंत्रीमण्डल आज्ञा के पालनार्थ।
6. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
7. जिला कलक्टर, जोधपुर।
8. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उपविधि परामर्शी/उप नगर नियोजक, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय